MADHYA PRADESH LOCAL LAWS

[Practice MCQs]

- **MP Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011**
  मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011
- **MP Lok Sewaon ke Pradhan ki Guarantee Adhiniyam, 2010**
  मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रधान की गारंटी अधिनियम, 2010
- **MP Excise Act, 1915**
  मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915
- **MP Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004**
  मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004
- **MP Rajya Suraksha Adhiniyam,1990**
  मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990

Sample Preview

DIGLOT EDITION
द्विभाषी संस्करण

Linking Publication
Jodhpur, Rajasthan

www.LinkingLaws.com

INDEX		
S.No.	**MADHYA PRADESH LOCAL LAWS**	***Page No.***
1.	**MP Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011** **मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011**	**1-24**
2.	**MP Lok Sewaon ke Pradhan ki Guarantee Adhiniyam, 2010** **मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रधान की गारंटी अधिनियम, 2010**	**25-37**
3.	**MP Excise Act, 1915** **मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915**	**38-56**
4.	**MP Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004** **मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004**	**57-72**
5.	**MP Rajya Suraksha Adhiniyam,1990** **मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990**	**73-103**

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

THE
MADHYA PRADESH VISHESH NYAYALAYA ADHINIYAM, 2011

मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011

Sample Preview

CHAPTER-I
PRELIMINARY / प्रारंभिक

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, ____. / यह अधिनियम मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, ____ कहलाएगा।

(a) 2009
(b) 2010
(c) 2011
(d) 2012

Ans. [c]

Linked Provision: Section 1(1)
Explanation: Section 1(1) fixes the short title as Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011. Short titles are important for citation in judgments, references, and academic writing. They provide a clear legal identity to the statute. अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक विधिक पहचान देता है और वर्ष (2011) को सही याद रखना परीक्षा में महत्वपूर्ण है। यह अन्य राज्यों के समान अधिनियमों से अलग पहचान सुनिश्चित करता है।

2. The Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011 extends to: / मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 लागू होता है:

(a) Only to Bhopal / केवल भोपाल तक
(b) Whole of Madhya Pradesh / सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
(c) Whole of India / सम्पूर्ण भारत
(d) Selected districts / कुछ जिलों तक

Ans. [b]

Linked Provision: Section 1(2)
Explanation: Section 1(2) states that the Act extends to the whole of Madhya Pradesh. This ensures uniformity in the establishment and functioning of special courts across all districts. Extent clauses define territorial applicability and prevent ambiguity in enforcement. क्षेत्राधिकार का उल्लेख अधिनियम की सीमा तय करता है — यहाँ सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है। इससे न्यायिक प्रक्रिया में समानता और स्पष्टता आती है।

3. The Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011 shall come into force on: / मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 प्रभावी होगा:

(a) Date of Presidential assent / राष्ट्रपति की स्वीकृति की तिथि
(b) Date of introduction in Assembly / विधानसभा में प्रस्तुति की तिथि
(c) Date of notification by State Government / राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना की तिथि
(d) Date of passage in Assembly / विधानसभा में पारित होने की तिथि

Ans. [c]

Linked Provision: Section 1(3)
Explanation: Section 1(3) provides that the Act comes into force on a date appointed by the State Government through notification. This commencement clause allows flexibility in implementation, ensuring administrative readiness before enforcement. Gazette notification is the formal mechanism for commencement. अधिनियम तभी प्रभावी होगा जब राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी — इसे Commencement Clause कहते हैं। यह विधिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निश्चितता लाता है।

4. Which of the following statements is correct regarding Section 1 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011? / निम्नलिखित में से कौन-सा कथन मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 1 के संबंध में सही है?

(a) It applies only to cattle traders / यह केवल पशु व्यापारियों पर लागू होता है
(b) It extends to the whole of Madhya Pradesh and comes into force on a date notified by the State Government / यह सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू होता है और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से प्रभावी होता है
(c) It extends to India as a whole / यह सम्पूर्ण भारत में लागू होता है
(d) It requires separate district notifications / इसके लिए अलग-अलग जिला अधिसूचनाएँ आवश्यक हैं

Ans. [b]

Linked Provision: Section 1(2) & 1(3)
Explanation: Section 1 collectively provides short title, extent, and commencement. The correct interpretation is that it applies to the entire state and becomes effective upon notification by the State Government. धारा 1 का समग्र अध्ययन बताता है कि अधिनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है और अधिसूचना द्वारा प्रभावी होता है। यह विधिक संरचना की स्पष्टता और अधिनियम की व्यावहारिकता को दर्शाता है

5. In this Act, "Act" means — / इस अधिनियम में "अधिनियम" का अर्थ है —

(a) Indian Penal Code, 1860 / भारतीय दंड संहिता, 1860
(b) Prevention of Corruption Act, 1988 / भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
(c) Code of Criminal Procedure, 1973 / दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
(d) Evidence Act, 1872 / साक्ष्य अधिनियम, 1872

Ans. [b]

Linked Provision: Section 2(1)(a)
Explanation: Section 2(1)(a) clarifies that "Act" refers specifically to the Prevention of Corruption

Sample Preview

Act, 1988. This linkage ensures that offences under the Prevention of Corruption Act are directly triable by Special Courts under this statute. अधिनियम की परिभाषा स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ही इस अधिनियम का आधार है, जिससे विशेष न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र तय होता है।

6. "Authorised officer" under this Act means — / इस अधिनियम में "अधिकृत अधिकारी" का अर्थ है —

(a) Any police officer / कोई भी पुलिस अधिकारी
(b) Any serving officer of Higher Judicial Service who is or has been Sessions Judge/Additional Sessions Judge / उच्च न्यायिक सेवा का कोई कार्यरत अधिकारी जो सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रहा हो
(c) Any magistrate / कोई भी मजिस्ट्रेट
(d) Any government servant / कोई भी सरकारी कर्मचारी

Ans. [b]

Linked Provision: Section 2(1)(b)
Explanation: Section 2(1)(b) defines "authorised officer" as a serving officer belonging to Higher Judicial Service, who is or has been a Sessions Judge/Additional Sessions Judge, specifically for Section 14 purposes. यह परिभाषा सुनिश्चित करती है कि केवल वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी ही अधिनियम के अंतर्गत विशेष अधिकारों का प्रयोग कर सकें। इससे न्यायिक प्रक्रिया की गंभीरता और निष्पक्षता बनी रहती है।

7. "Offence" under this Act means — / इस अधिनियम में "अपराध" का अर्थ है —

(a) Any offence under IPC / कोई भी अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत
(b) Criminal misconduct attracting Section 13(1)(e) of the Prevention of Corruption Act / भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(e) के अंतर्गत आपराधिक दुराचार
(c) Any civil wrong / कोई भी दीवानी गलत
(d) Any traffic violation / कोई भी यातायात उल्लंघन

Ans. [b]

Linked Provision: Section 2(1)(e)

Explanation: Section 2(1)(e) defines "offence" as criminal misconduct under Section 13(1)(e) of the Prevention of Corruption Act, either independently or with other provisions of the Act or IPC. यह परिभाषा भ्रष्टाचार से संबंधित गंभीर अपराधों को विशेष न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में लाती है। इससे भ्रष्टाचार मामलों की त्वरित और विशेष सुनवाई सुनिश्चित होती है।

8. "Special Court" under this Act means — / इस अधिनियम में "विशेष न्यायालय" का अर्थ है —

(a) Any District Court / कोई भी जिला न्यायालय
(b) Any Magistrate Court / कोई भी मजिस्ट्रेट न्यायालय
(c) A Special Court established under Section 3 / धारा 3 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय
(d) Any High Court Bench / कोई भी उच्च न्यायालय पीठ

Ans. [c]

Linked Provision: Section 2(1)(f)
Explanation: Section 2(1)(f) defines "Special Court" as a court established under Section 3 of this Act. This ensures that only specially designated courts handle corruption-related offences. विशेष न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य भ्रष्टाचार मामलों की त्वरित सुनवाई और विशेषज्ञ न्यायिक प्रक्रिया है। इससे न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता आती है

Sample Preview

THE
MADHYA PRADESH LOK SEWAON KE PRADHAN KI GUARANTEE ADHINIYAM, 2010

मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रधान की गारंटी अधिनियम, 2010

Sample Preview

1. What is the short title of the Act? / इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है?

(a) Madhya Pradesh Public Services Guarantee Act, 2010
(b) Madhya Pradesh Lok Sevaon Ke Pradhan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010
(c) Madhya Pradesh Citizen Charter Act, 2010
(d) Madhya Pradesh Service Delivery Act, 2010

Ans. (b)

Explanation: Section 1(1) specifies the short title as Madhya Pradesh Lok Sevaon Ke Pradhan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010. The short title is the official name used in legal references and distinguishes this Act from other service delivery legislations.
स्पष्टीकरण: धारा 1(1) अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 बताती है। संक्षिप्त नाम अधिनियम का आधिकारिक नाम है, जिससे इसे अन्य सेवा प्रदाय अधिनियमों से अलग पहचाना जा सके।

2. To which area does the Act extend? / यह अधिनियम किस क्षेत्र में लागू होता है?

(a) Only Bhopal district / केवल भोपाल जिले में
(b) Whole of Madhya Pradesh / पूरे मध्य प्रदेश में
(c) Selected urban areas / चयनित शहरी क्षेत्रों में
(d) Central India region / मध्य भारत क्षेत्र में

Ans. (b)

Explanation: Section 1(2) states that the Act extends to the whole of Madhya Pradesh. This ensures uniform application across all districts and administrative units, so every citizen in the state can claim guaranteed public services.
स्पष्टीकरण: धारा 1(2) कहती है कि यह अधिनियम पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगा। इससे सभी जिलों और प्रशासनिक इकाइयों में समान रूप से अधिनियम लागू होता है, ताकि राज्य का प्रत्येक नागरिक गारंटीकृत लोक सेवाओं का दावा कर सके।

3. When does the Act come into force? / यह अधिनियम कब लागू होता है?

(a) On the date of passing by Assembly / विधानसभा द्वारा पारित होने की तिथि पर
(b) On the date notified by the State Government / राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि पर
(c) On 1st January 2010 / 1 जनवरी 2010 को
(d) On publication in Gazette only / केवल राजपत्र में प्रकाशन पर

Ans. (b)

Explanation: Section 1(3) provides that the Act shall come into force on such date as the State Government may notify. This allows flexibility so that administrative machinery is prepared before enforcement. Gazette notification makes commencement official.
स्पष्टीकरण: धारा 1(3) कहती है कि अधिनियम उस तिथि से लागू होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचित करेगी। यह प्रावधान लचीलापन देता है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था लागू होने से पहले तैयार हो सके। राजपत्र में अधिसूचना से प्रारंभ आधिकारिक हो जाता है।

4. Which of the following is correct about Section 1 of the Act? / निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अधिनियम की धारा 1 के संबंध में सही है?

(a) It gives short title only / यह केवल संक्षिप्त नाम बताती है
(b) It gives short title, extent and commencement / यह संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ बताती है
(c) It gives definitions / यह परिभाषाएँ बताती है
(d) It gives penalty provisions / यह दंड का प्रावधान करती है

Ans. (b)

Explanation: Section 1 is a standard opening clause in most legislations. It covers three essentials: short title (official name), extent (territorial application), and commencement (date of enforcement). This ensures clarity about the scope and applicability of the Act from the very beginning.
स्पष्टीकरण: धारा 1 अधिकांश अधिनियमों में प्रारंभिक प्रावधान होती है। यह तीन आवश्यक बातें बताती है: संक्षिप्त नाम (आधिकारिक नाम), विस्तार (क्षेत्रीय लागू होना), और प्रारंभ (प्रवर्तन की तिथि)। इससे अधिनियम के दायरे और लागू होने की स्थिति प्रारंभ से ही स्पष्ट हो जाती है

5. Who is the "Designated Officer" under the Act? / अधिनियम के अंतर्गत "नामित अधिकारी" कौन होता है?

(a) Any officer appointed by the High Court / कोई भी अधिकारी जिसे उच्च न्यायालय नियुक्त करे
(b) Officer notified by the State Government for providing services / वह अधिकारी जिसे राज्य सरकार सेवा प्रदान करने हेतु अधिसूचित करे
(c) District Collector only / केवल जिला कलेक्टर
(d) Panchayat Secretary only / केवल पंचायत सचिव

Ans. (b)

Explanation: Section 2(b) defines "Designated Officer" as the officer notified by the State Government responsible for providing a particular public service. This ensures accountability by fixing responsibility on specific officers for timely service delivery.

Sample Preview

THE
MADHYA PRADESH EXCISE ACT, 1915

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915

Sample Preview

1. What is the short title of the Act under Section 1? / धारा 1 के अंतर्गत अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है?
(A) Excise Act / आबकारी अधिनियम
(B) Police Act / पुलिस अधिनियम
(C) Liquor Control Act / मदिरा नियंत्रण अधिनियम
(D) Country Liquor Act / देशी मदिरा अधिनियम
Ans. (B)
Explanation: Section 1 provides the short title of the Act as the Police Act.
स्पष्टीकरण: धारा 1 अधिनियम का संक्षिप्त नाम "पुलिस अधिनियम" बताती है।

2. Section 1 also specifies the extent of the Act. What does it mean? / धारा 1 अधिनियम के विस्तार को भी निर्दिष्ट करती है। इसका क्या अर्थ है?
(A) Area of application / लागू क्षेत्र
(B) Duration / अवधि
(C) Authority / प्राधिकरण
(D) Penalty / दंड
Ans. (A)
Explanation: Extent means the geographical area where the Act applies.
स्पष्टीकरण: विस्तार का अर्थ है वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ अधिनियम लागू होता है।

3. Commencement under Section 1 refers to? / धारा 1 में प्रारम्भ का क्या अर्थ है?
(A) Date of enforcement / प्रवर्तन की तिथि
(B) Place of enforcement / प्रवर्तन का स्थान
(C) Authority of enforcement / प्रवर्तन का प्राधिकरण
(D) Penalty commencement / दंड का प्रारम्भ
Ans. (A)
Explanation: Commencement means the date from which the Act comes into force.
स्पष्टीकरण: प्रारम्भ का अर्थ है वह तिथि जब से अधिनियम लागू होता है।

4. Section 2 deals with? / धारा 2 किससे संबंधित है?
(A) Definitions / परिभाषाएँ
(B) Penalties / दंड
(C) Powers / शक्तियाँ
(D) Commencement / प्रारम्भ
Ans. (A)
Explanation: Section 2 provides definitions of important terms used in the Act.
स्पष्टीकरण: धारा 2 अधिनियम में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएँ देती है।

5. Why are definitions important in law? / कानून में परिभाषाएँ क्यों महत्वपूर्ण होती हैं?
(A) To clarify meaning / अर्थ स्पष्ट करने हेतु
(B) To impose penalties / दंड लगाने हेतु
(C) To grant powers / शक्तियाँ देने हेतु
(D) To commence Act / अधिनियम प्रारम्भ करने हेतु
Ans. (A)
Explanation: Definitions ensure clarity and avoid ambiguity in interpretation.
स्पष्टीकरण: परिभाषाएँ स्पष्टता सुनिश्चित करती हैं और व्याख्या में अस्पष्टता को रोकती हैं।

7. Section 4 empowers authority to declare what? / धारा 4 किसे घोषित करने का अधिकार देती है?
(A) Country liquor and foreign liquor / देशी मदिरा और विदेशी मदिरा
(B) Taxes / कर
(C) Penalties / दंड
(D) Police powers / पुलिस शक्तियाँ
Ans. (A)
Explanation: Section 4 empowers authority to declare which liquor is country liquor and which is foreign liquor.
धारा 4 प्राधिकरण को यह घोषित करने का अधिकार देती है कि कौन सी मदिरा देशी है और कौन सी विदेशी।

8. Declaring liquor types under Section 4 helps in? / धारा 4 के अंतर्गत मदिरा के प्रकार घोषित करने से क्या लाभ होता है?
(A) Regulation / विनियमन
(B) Training / प्रशिक्षण
(C) Recruitment / भर्ती
(D) Commencement / प्रारम्भ
Ans. (A)
Explanation: It helps regulate sale and control of liquor.
स्पष्टीकरण: यह मदिरा की बिक्री और नियंत्रण को विनियमित करने में सहायक होता है।

9. Section 5 defines what? / धारा 5 किसकी परिभाषा करती है?
(A) Retail and wholesale sale / फुटकर और थोक विक्रय
(B) Liquor types / मदिरा के प्रकार
(C) Police powers / पुलिस शक्तियाँ
(D) Penalties / दंड
Ans. (A)
Explanation: Section 5 defines retail and wholesale sale of liquor.
स्पष्टीकरण: धारा 5 मदिरा के फुटकर और थोक विक्रय की परिभाषा करती है।

10. Retail sale refers to? / फुटकर विक्रय किसे कहते हैं?
(A) Sale to consumers / उपभोक्ताओं को विक्रय
(B) Sale to wholesalers / थोक विक्रेताओं को विक्रय
(C) Sale to government / सरकार को विक्रय

Sample Preview

THE
MADHYA PRADESH GOVANSH VADH PRATISHEDH ADHINIYAM, 2004

मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004

Sample Preview

1. What is the primary objective of the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004? / मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(a) Regulation of cattle trade / गोवंश व्यापार का विनियमन
(b) Prohibition of slaughter and preservation of cow progeny / गोवंश वध पर रोक और संरक्षण
(c) Promotion of dairy industry / दुग्ध उद्योग का संवर्धन
(d) Regulation of veterinary practice / पशु चिकित्सा का विनियमन

Ans. [b]

Linked Provision: Preamble
Explanation: The Act aims to prohibit slaughter of cow progeny, preserve and conserve them, and maintain communal harmony and peace. यह अधिनियम जनहित और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने हेतु गोवंश वध पर रोक लगाता है।

2. When was the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004 enacted? / मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 कब अधिनियमित किया गया?

(a) 15th August, 2004 / 15 अगस्त, 2004
(b) 29th March, 2004 / 29 मार्च, 2004
(c) 1st January, 2004 / 1 जनवरी, 2004
(d) 2nd October, 2004 / 2 अक्टूबर, 2004

Ans. [b]

Linked Provision: Title & Date
Explanation: The Act was enacted on 29th March, 2004, in the fifty-fifth year of the Republic of India. यह तिथि विधिक इतिहास में अधिनियम के औपचारिक लागू होने को दर्शाती है।

3. In which year of the Republic of India was this Act enacted? / भारत गणराज्य के किस वर्ष में यह अधिनियम अधिनियमित हुआ?

(a) 50th year / 50वाँ वर्ष
(b) 55th year / 55वाँ वर्ष
(c) 60th year / 60वाँ वर्ष
(d) 65th year / 65वाँ वर्ष

Ans. [b]

Linked Provision: Enacting Clause
Explanation: The Act was enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the fifty-fifth year of the Republic of India. यह प्रावधान अधिनियम की ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है

4. What is the short title of this Act? / इस अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक क्या है?

(a) Madhya Pradesh Cow Slaughter Prohibition Act, 2004 / मध्यप्रदेश गौवध निषेध अधिनियम, 2004
(b) Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004 / मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004
(c) Madhya Pradesh Animal Protection Act, 2004 / मध्यप्रदेश पशु संरक्षण अधिनियम, 2004
(d) Madhya Pradesh Livestock Act, 2004 / मध्यप्रदेश पशुधन अधिनियम, 2004

Ans. [b]

Linked Provision: Section 1(1)
Explanation: Section 1(1) specifies the short title as Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004. यह संक्षिप्त शीर्षक अधिनियम की पहचान और उद्देश्य को स्पष्ट करता है, जो गोवंश वध पर रोक लगाने से संबंधित है। इससे अधिनियम का विषय और प्रयोजन तुरंत समझ में आता है।

5. To what extent does this Act apply? / यह अधिनियम किस क्षेत्र में लागू होता है?

(a) Only Bhopal district / केवल भोपाल जिला
(b) Only urban areas of Madhya Pradesh / केवल मध्यप्रदेश के शहरी क्षेत्र
(c) Whole of the State of Madhya Pradesh / सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य
(d) Only rural areas of Madhya Pradesh / केवल मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र

Ans. [c]

Linked Provision: Section 1(2)
Explanation: Section 1(2) provides that the Act extends to the whole of Madhya Pradesh. यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि अधिनियम राज्य के सभी जिलों और क्षेत्रों में समान रूप से लागू हो। इससे अधिनियम का प्रभाव व्यापक और राज्यव्यापी हो जाता है।

6. When does the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004 come into force? / मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 कब लागू होता है?

(a) From the date of assent by Governor / राज्यपाल की स्वीकृति की तिथि से
(b) From the date of publication in the Madhya Pradesh Gazette / मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से
(c) From the date of notification by State Government / राज्य सरकार की अधिसूचना की तिथि से
(d) From the date of approval by High Court / उच्च न्यायालय की स्वीकृति की तिथि से

Ans. [b]

Linked Provision: Section 1(3)

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

THE
MADHYA PRADESH RAJYA SURAKSHA ADHINIYAM,1990

मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990

Sample Preview

1. What is the short title of the Act enacted in 1990 for State Security in Madhya Pradesh? / 1990 में मध्यप्रदेश में राज्य सुरक्षा हेतु बनाए गए अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक क्या है?

(A) Madhya Pradesh Police Act, 1990 / मध्यप्रदेश पुलिस अधिनियम, 1990
(B) Madhya Pradesh Rajya Suraksha Adhiniyam, 1990 / मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990
(C) Madhya Pradesh Shanti Adhiniyam, 1990 / मध्यप्रदेश शांति अधिनियम, 1990
(D) Madhya Pradesh Raksha Adhiniyam, 1990 / मध्यप्रदेश रक्षा अधिनियम, 1990

Ans. (B)

Linked Provision: Section 1(1)
Explanation: The legislature clearly states in Section 1(1) that the short title of this Act is Madhya Pradesh Rajya Suraksha Adhiniyam, 1990. The short title is important for citation, reference, and identification in legal documents. It distinguishes this Act from other laws dealing with police or defense.
विधानमंडल ने धारा 1(1) में स्पष्ट किया है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 है। संक्षिप्त शीर्षक का महत्व अधिनियम की पहचान, उद्धरण और संदर्भ में होता है। यह अन्य पुलिस या रक्षा संबंधी अधिनियमों से इसे अलग करता है।

2. To which territorial extent does the Madhya Pradesh Rajya Suraksha Adhiniyam, 1990 apply? / मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 का क्षेत्रीय विस्तार कहाँ तक है?

(A) Only Bhopal District / केवल भोपाल जिला
(B) Entire Madhya Pradesh / सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
(C) Selected Urban Areas / चयनित शहरी क्षेत्र
(D) Central India Region / मध्य भारत क्षेत्र

Ans. (B)

Linked Provision: Section 1(2)
Explanation: Section 1(2) specifies that the Act extends to the whole of Madhya Pradesh. This means its applicability is uniform across all districts and regions of the state. Territorial extent provisions are crucial because they determine the jurisdiction of enforcement authorities.
धारा 1(2) में स्पष्ट किया गया है कि यह अधिनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश तक विस्तृत है। इसका अर्थ है कि यह अधिनियम राज्य के सभी जिलों और क्षेत्रों में समान रूप से लागू होता है। क्षेत्रीय विस्तार की धारा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रवर्तन अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र तय होता है।

3. Under which year was the Madhya Pradesh Rajya Suraksha Adhiniyam enacted? / मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था?

(A) 1985
(B) 1990
(C) 1995
(D) 2000

Ans. (B)

Linked Provision: Section 1(1)
Explanation: The Act was passed in 1990, as reflected in its short title. The year of enactment is significant because it situates the law in historical context—post 1980s reforms in state policing and security.
यह अधिनियम 1990 में पारित हुआ था, जैसा कि इसके संक्षिप्त शीर्षक में दर्शाया गया है। अधिनियमित होने का वर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कानून को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखता है—1980 के दशक के बाद राज्य पुलिसिंग और सुरक्षा सुधारों के संदर्भ में।

4. Which of the following statements about Section 1 of the Madhya Pradesh Rajya Suraksha Adhiniyam, 1990 is correct? मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 1 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(A) It applies only to Central Government employees / यह केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है
(B) It extends to the whole of Madhya Pradesh / यह सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर लागू होता है
(C) It is called Madhya Pradesh Police Adhiniyam / इसे मध्यप्रदेश पुलिस अधिनियम कहा जाता है
(D) It applies only to rural areas / यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होता है

Ans. (B)

Linked Provision: Section 1(2)
Explanation: Section 1(2) makes it clear that the Act extends to the entire territory of Madhya Pradesh. Options (A), (C), and (D) are incorrect because the Act is neither limited to employees nor rural areas, and its title is not "Police Adhiniyam."
धारा 1(2) स्पष्ट करती है कि यह अधिनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर लागू होता है। विकल्प (A), (C) और (D) गलत हैं क्योंकि यह

Sample Preview

Linking Paperathon Booklets

Unique Features of Paperathon Booklet

- Subject-wise presentation with weightage analysis table
- Covered Last Previous Years Papers
- Linked Provision
- Diglot Q&A (English + Hindi)
- Explanation (English + Hindi)
- QR Code for Paper Solution Free Videos
- QR Code for Free Videos Lectures for All Judiciary & Law Exams

Linking Charts

Linking Bare Acts

Scan this QR Code Place Order

-:Note:-

Sample Preview